न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

पीठासीन अधिकारी :– डॉ. साधना शर्मा (RAS)

वाद पत्र संख्या	जीसीएमएस सख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनाक
132/2024	2024/341	21.08.2024	06.04.2026

शीर्षक

1. उर्मिला देवी पत्नी सुरेश चौधरी उम 52 वर्ष जाति जाट निवासी तुलसीपुरा
2. जयराम पुत्र छंगाराम जाति जाट उम्र 40 वर्ष निवासी तुलसीपुरा तहसील पावटा
3. मूर्ती देवी पत्नी बाबूलाल जाट जाति जाट उम्र 55 वर्ष निवासी तुलसीपुरा
4. मामराज पुत्र छंगाराम जाति जाट उम्र 62 वर्ष निवासी तुलसीपुरा तहसील पावटा
5. सुशीला कंवर पत्नी भवानी जाति राजपूत उम्र 62 वर्ष निवासी तुलसीपुरा तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड़।

वादीगण

बनाम

1 कबूलचन्द पुत्र रामप्रसाप जाति मीणा निवासी बडनगर तहसील पावटा
2 दुर्गाप्रसाद पुत्र रामप्रताप जाति मीणा निवासी बडनगर तहसील पावटा
3 सुमन कंवर पली सोहनसिंह जाति राजपूत निवासी बडनगर तहसील पावटा
4. सरदार सिंह पुत्र रामप्रताप जाति मीणा निवासी बडनगर तहसील पावटा
5 सुरेश चंद पुत्र रामप्रताप जाति मीणा निवासी बडनगर तहसील पावटा
6. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड

प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांकः 06.04.2026

1. वादीगण की ओर से जरिये अधिवक्ता श्री रघुवीर सैनी के द्वारा पेश वादपत्र निम्नानुसार पेश है कि स्थित ग्राम बडनगर तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड़ राजस्थान आराजी हाल खसरा नम्बर 2418/0.85 हैक्टेयर में वादी सं. 01 हिस्सा 2/17, वादी सं. 02 का हिस्सा 1/10, वादी सं. 03 का हिस्सा 2/17, वादी सं. 04 का हिस्सा 1/10, वादी सं. 05 का हिस्सा 4/17 का खातेदार काश्तकार काबिज है। तथा शेष हिस्से के खातेदार काश्तकार प्रतिवादी सं. 01 लगायत 05 है।

2. वादीगण व प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्स्से पर बतौर खातेदार काश्तकार काबिज है, वादीगण अपने हिस्से की भूमि का तकास्मा करवाकर हिस्सा का शांतिपूर्ण तरीके से खेतीबाडी करना चाहते है तथा अपने हिस्से की भूमि के तार बाउण्ड्री करवाना चाहते है यह सब करने के लिए सर्वप्रथम सहखोदारी भूमि का तकास्मा करवाया जाना आवश्यक है। वादीगण द्वारा उक्त खसरा नम्बरा 2418/0.85 हैक्टे वाके मौजा बडनगर तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड़ के संबंध में तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा का वादपत्र पेश किया गया। दावा काबिले समात पाया जाना पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तल्ब किया गया। प्रतिवादी संख्या 03 की ओर से अधिवक्ता श्री दिलीप सिंह शेखावत उपस्थित आकर वकालतनामा व जवाबदावा पेश किया, जो शामिल मिसल किया गया। बावजूद सम्मन तामिल के बाद भी उपस्थित नही आने के कारण प्रतिवादी संख्या 01, 02, 04, 05 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गयी। दिनांक 03.07.2025 को वकील उभयपक्ष की बहस उपरान्त वाद को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार को बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट हेतू लिखा गया।

3. दिनांक 16.01.2026 को तहसीलदार पावटा से कुर्रेजात बंटवारा रिपोर्ट प्राप्त हुई, जो आगामी नियत दिनांक पर शामिल पत्रावली की गई। प्रतिवादी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र उज्रात बंटवारा रिपोर्ट पेश किया, नकल दिलायी शामिल मिसल किया। वादी वकील ने जवाब उज्रात प्रार्थनापत्र ना देकर बहस हेतू निवेदन किया। वकील उभयपक्षों की उज्रात प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया जाकर अध्ययन व मूल्यांकन किया गया। प्रार्थी/प्रतिवादी वकील ने उज्रात/आपति प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए पुनः कुर्रेजात/बंटवारा रिपोर्ट मंगवाये जाने हेतू निवेदन किया। जिसके प्रत्युत्तर में वकील वादी ने आपत्ति करते हुए बताया कि बंटवारा राजस्व बोर्ड के नियमों के अनुसार तैयार की गई है प्रतिवादी/प्रार्थी ने केवल प्रकरण में अनावश्यक विलम्ब करने की नियत से यह प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे खारिज किया जाकर बंटवारा रिपोर्ट अनुसार वादपत्र को निर्णय डिक्री फरमाया जावे। बहस पर मनन किया गया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया जाकर अध्ययन व मूल्यांकन किया गया। कुर्रेजात रिपोर्ट राजस्व बोर्ड के नियमों के अनुरूप तहसीलदार द्वारा स्वयं मौके पर उपस्थित होकर तैयार करवायी गयी है। तथा प्रार्थी/प्रतिवादी की आपत्ति है कि मेरी 70 वर्गमीटर भूमि कर दी गयी है जबकि ऐसा कुछ नही है प्रार्थी/प्रतिवादी की 70 वर्गमीटर भूमि खसरा नम्बर 2418/3/0.0560 गै0मु0 रास्ता में सामलाति रूप से है। इसलिए प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा पेश उज्रात प्रार्थना पत्र बंटवारा रिपोर्ट खारिज किया जाकर तहसीलदार पावटा से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार वाद अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित व न्यायसंगत है।

4 अतः प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा पेश उज्रात प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर वादपत्र तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार दावा अन्तिम डिक्री किया है कि आराजी खसरा नम्बर 2418/0.85 हैक्टे वाके मौजा बडनगर तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड राजस्थान के खातेदारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा कर उनको पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है –

क.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर/रकबा
1	उर्मिला देवी पत्नी सुरेश चौधरी हि. 467/2660 जाति जाट सा. तुलसीपुरा मूर्ती देवी पत्नी बाबूलाल जाट हि. 467/2660 जाति सा. तुलसीपुरा जयराम पुत्र छंगाराम हि. 397/2660 जाति जाट सा. तुलसीपुरा मामराज पुत्र छंगाराम हि. 397/2660 जाति जाट सा. तुलसीपुरा सुशीला कंवर पत्नी भवानी सिंह हि. 932/2660 जाति राजपूत सा. तुलसीपुरा	2418/1/0.4760, 2418/4/0.0560 हैक्ट0 भूमि ।
2	कबूलचन्द पुत्र रामप्रताप हि. 1/4 जाति मीणा सा.देह दुर्गाप्रसाद पुत्र रामप्रताप हि. 1/4 जाति मीणा सा.देह सरदारसिंह पुत्र रामप्रताप हि. 1/4 जाति मीणा सा.देह सुरेश चन्द पुत्र रामप्रताप हि. 1/4 जाति मीणा सा.देह	2418/0.1590 हैक्ट0 भूमि
3	सुमन कंवर पत्नि सोहन सिंह हि. पूर्ण जाति राजपूत सा.देह	2418/2/0.1030 हैक्ट0 भूमि
4	सामलात रास्ता	2418/3/0.0560 हैक्ट0 भूमि।

तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार पावटा को लिखा जावें। वादी/प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे कास्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें । पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 06.04.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

(डॉ. साधना शर्मा, RAS)
उप खण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड)

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

वाद पत्र संख्या	जीसीएमएस सख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनाक
132/2024	2024/341	21.08.2024	06.04.2026

शीर्षक

1. उर्मिला देवी पत्नी सुरेश चौधरी उम 52 वर्ष जाति जाट निवासी तुलसीपुरा
2. जयराम पुत्र छंगाराम जाति जाट उम्र 40 वर्ष निवासी तुलसीपुरा तहसील पावटा
3. मूर्ती देवी पत्नी बाबूलाल जाट जाति जाट उम्र 55 वर्ष निवासी तुलसीपुरा
4. मामराज पुत्र छंगाराम जाति जाट उम्र 62 वर्ष निवासी तुलसीपुरा तहसील पावटा
5. सुशीला कंवर पत्नी भवानी जाति राजपूत उम्र 62 वर्ष निवासी तुलसीपुरा तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड़।

वादीगण

बनाम

1 कबूलचन्द पुत्र रामप्रसाप जाति मीणा निवासी बडनगर तहसील पावटा
2 दुर्गाप्रसाद पुत्र रामप्रताप जाति मीणा निवासी बडनगर तहसील पावटा
3 सुमन कंवर पत्नी सोहनसिंह जाति राजपूत निवासी बडनगर तहसील पावटा
4. सरदार सिंह पुत्र रामप्रताप जाति मीणा निवासी बडनगर तहसील
5 सुरेश चंद पुत्र रामप्रताप जाति मीणा निवासी बडनगर तहसील पावटा
6. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड

प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा

अतः प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा पेश उज्रात प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर वादपत्र तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार दावा अन्तिम डिक्री किया है कि आराजी खसरा नम्बर 2418/0.85 हैक्टे वाके मौजा बडनगर तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड राजस्थान के खातेदारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा कर उनकों पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है –

क.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर/रकबा
1	उर्मिला देवी पत्नी सुरेश चौधरी हि. 467/2660 जाति जाट सा. तुलसीपुरा मूर्ती देवी पत्नी बाबूलाल जाट हि. 467/2660 जाति सा. तुलसीपुरा जयराम पुत्र छंगाराम हि. 397/2660 जाति जाट सा. तुलसीपुरा मामराज पुत्र छंगाराम हि. 397/2660 जाति जाट सा. तुलसीपुरा सुशीला कंवर पत्नी भवानी सिंह हि. 932/2660 जाति राजपूत सा. तुलसीपुरा	2418/1/0.4760, 2418/4/0.0560 हैक्ट0 भूमि ।
2	कबूलचन्द पुत्र रामप्रताप हि. 1/4 जाति मीणा सा.देह दुर्गाप्रसाद पुत्र रामप्रताप हि. 1/4 जाति मीणा सा.देह सरदारसिंह पुत्र रामप्रताप हि. 1/4 जाति मीणा सा.देह सुरेश चन्द पुत्र रामप्रताप हि. 1/4 जाति मीणा सा.देह	2418/0.1590 हैक्ट0 भूमि
3	सुमन कंवर पत्नि सोहन सिंह हि. पूर्ण जाति राजपूत सा.देह	2418/2/0.1030 हैक्ट0 भूमि
4	सामलात रास्ता	2418/3/0.0560 हैक्ट0 भूमि।

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। पक्षकारान को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बटवारा अनुसार एक दूसरे के कब्जे कास्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें।

डिक्री आज दिनांक 06.04.2026 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गयी।

(डॉ. साधना शर्मा, RAS)
उप खण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल	/	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	/
जोड		जोड	